संख्या-78/2022/1099ई-2/तेरह-2022-1635445

प्रेषक,

राजवीर सिंह,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त

उत्तर प्रदेश, प्रयाग।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांकः 20 जून, 2022

विषयः- श्रीमती मोनिका गुजराल पत्नी श्री जगजीत सिंह, निवासी-32 सी, चक मुण्डेरा, धूमनगं प्रयागराज के एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन मेसर्स इनफिनिटी बिस्ट्रो, ए यूनिट आफ जसवन्त कौर एसोसिएट्स प्रा. लि. ,7/2 सिविल स्टेशन, 50/36 नवाब युसुफ रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज को माइक्रो ब्रिवरी की स्थापना हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन निर्गत किये जाने केसंबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याःजी-183/दो-प्रा.एम.बी.(17)/लघु यवासवनी, दिनांक 06.06.2022(छायाप्रति संलग्न) तथा पत्र संख्याःजी-185/दो-प्रा.एम.बी.(17)/लघु यवासवनी, दिनांक13-06-2022(छायाप्रति संलग्न), का कृपाया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 06-06-2022तथा पत्र दिनांक 13-06-2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त श्रीमती मोनिका गुजराल पत्नी श्री जगजीत सिंह, निवासी-32 सी, चक मुण्डेरा, धूमनगंज, प्रयागराज के एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन मेसर्स इनफिनिटी बिस्ट्रो, ए यूनिट आफ जसवन्त कौर एसोसिएट्स प्रा. लि., सिविल स्टेशन, 50/36 नवाब युसुफ रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज को 150 लीटर प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्यकारी दिवस के आधार पर 52,500 लीटर वार्षिक ड्राट बियर उत्पादन किये जाने हेतु माइक्रो ब्रिवरी की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

स्थापना किये जाने हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन निर्गत किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगाः-

(1) उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवाँ संशोधन) नियमावली, 2019 में माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु उल्लिखित नियम एवं शर्तें।

(2) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल एवं वायु हेतु निर्गत कन्सेन्ट आर्डर दिनांक 01-06-2022 में उल्लिखित नियम व शर्तें।

(3) इकाई द्वारा स्थानीय जल उपयोगिता उत्तर प्रदेष प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र और भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से रजिस्ट्रीकरण के संबंध में उत्तर प्रदेष यवासवनी (छठवाँ संशोधन) नियमावली, 2019 में विहित व्यवस्थानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(4) उक्त के अतिरिक्त इकाई द्वारा गुड मैन्यूफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

तद्नुसर कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।